न<u>्यायालय :— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड</u> (आप.प्रक.क्रमांक :— 707 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 23 / 09 / 2015)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ। जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन।

/ / विरूद्ध / /

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 06/03/2018 को घोषित)

01. आरोपी कादिर पर धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 31/05/2015 को शाम लगभग 06:20 बजे बेहट रोड़ गौरव पेट्रोल पम्प के पास मौ सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 31/05/15 को थाना मौ के सहायक उपनिरीक्षक अवनीश शर्मा को कस्बा गश्त के दौरान बस स्टेण्ड़ पर जिरये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बेहट रोड़ पेट्रोल पम्प के पास वारदात करने की नियत से एक 315 बोर का कट्टा खुरसे खड़ा है। सूचना की तश्दीक हेतु मयफोर्स प्रधान आरक्षक कमांक 869 सुल्तान सिंह, आरक्षक भीकम, आरक्षक गुरूदास एवं आरक्षक श्याम गुर्जर को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचा, तो एक व्यक्ति पुलिस को आता देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे फोर्स की मदद् से घेरकर पकड़ा। उक्त व्यक्ति तलाशी ली गई, तो उसके कमर में बाई तरफ पेंट के नीचे एक 315 बोर का लोडेड कट्टा खुरसे मिला। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम कादिर खाँ पुत्र वसीर खाँ, उम्र 27 वर्ष, निवासी : वार्ड कमांक 14 मौ,

थाना—मौ का होना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 25 आयुध अधिनियम में दण्ड़नीय होने से आरोपी से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी कादिर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल—मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 143/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी संदीप एवं आरक्षक श्याम गुर्जर के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्त कादिर खॉ के विरूद्ध धारा 25 (1—B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष एवं झुठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी कादिर खॉ ने दिनांक :— 31/05/2015 को शाम लगभग 06:20 बजे बेहट रोड़ गौरव पेट्रोल पम्प के पास मौ सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु कमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी अवनीश शर्मा अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 31/05/2015 को थाना मौ में एएसआई के पद पद पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि दौराने कस्बा गश्त मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि गौरव पेट्रोल पम्प के पास मौ—बेहट रोड़ पर एक व्यक्ति वारदात करने की नियत से कट्टा लिये खड़ा है, सूचना की

तश्दीक हेतु मय हमराही फोर्स के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा, तो पुलिस को आता देख एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे फोर्स की मदद् से घेरकर पकडा, जिसकी तलाशी ली तो उसकी बाई तरफ कमर में एक 315 बोर का लोडेड कट्टा पेंट के नीचे खुरसे मिला, जिसे रखने के संबंध में लाईसेंस चाहा तो पेश नहीं कर सका। साक्षी आगे कहता है कि मौके से आरोपी के कब्जे से एक कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 का जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम कादिर खाँ पुत्र वसीर खाँ, उम्र 25 वर्ष, निवासी : कस्बा मौ वली शाह मस्जिद के पीछे का रहने वाला बताया था। आरोपी कादिर को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था. जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि साक्षी आरक्षक कमांक 128 श्याम गुर्जर एवं संदीप के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे, थाने वापस आकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.05 लेख किया था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय होने से असल अपराध क्रमांक 143 / 2015 पंजीबद्ध किया था। तत्पश्चात वापसी आकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1351, दिनांक : 21/05/2015 पर लेख किया था, जो प्र.पी.06 है। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तृत कट्टा एवं कारतूस वही कट्टा एवं कारतूस है, जो उसके द्व ारा आरोपी से जब्त किये गये थे, जब्तश्दा कट्टा आर्टिकल ए-01 एवं कारतूस आर्टिकल ए-02 है।

प्रति-परीक्षण के पद कमांक 02 में जब्तीकर्ता अवनीश शर्मा अ.सा. 04 ने यह दर्शित किया है कि जब वह मौ बेहट रोड पर बस स्टेण्ड के पास वाहन चैकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। जब्ती के साक्षी प्रधान आरक्षक सुल्तान सिंह अ.सा.०३ ने भी उसके प्रति–परीक्षण के पद कुमांक 03 में यह दर्शित किया है कि सर्वप्रथम वह लोग वली साहब का तिराहा बस स्टेण्ड मौ पहुँचे, जहाँ मुखबिर द्वारा सूचना दरोगा अवनीश शर्मा को प्राप्त हुई, तब वह घटनास्थल गौरव पेट्रोल पम्प की तरफ गये। प्रति-परीक्षण के पद कमांक 05 में जब्तीकर्ता अवनीश शर्मा अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि उसके द्वारा आरोपी को 06:30 बजे गिरफतार किया गया था। उसके द्वारा जब्ती 18:20 अर्थात् 06:20 बजे बनाई गई थी। जब्ती के साक्षी प्रधान आरक्षक सुल्तान सिंह अ. सा.03 ने भी उसके प्रति-परीक्षण के पद कमांक 04 में यह दर्शित किया है कि आरोपी को शाम लगभग 06:20 बजे पकडकर 06:20 बजे उससे जब्ती की कार्यवाही की गई थी। जब्ती पत्रक प्र.पी.02 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उस पर आरोपी से आयुध जब्ती का समय 18:20 अर्थात शाम 06:20 बजे तथा आरोपी की गिरफतारी का समय 18:30 अर्थात शाम 06:30 बजे का होना अंकित है। इस प्रकार इस वावत जब्तीकर्ता अवनीश शर्मा अ.सा.०४ के

न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि जब्ती के साक्षी सुल्तान अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, जब्ती पत्रक प्र.पी.02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है। जब्ती पत्रक प्र.पी.02 का अवलोकन करने से यह दर्शित होता है कि उस पर नमूना सील अंकित है, जो कि जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किये जाने के तथ्य को दर्शित करता है। इस प्रकार आरोपित घटना के संबंध में अवनीश शर्मा अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति—परीक्षण उपरांत तत्विक रूप से अखण्डित रहा है।

- अभियोजन साक्षी सुल्तान सिंह अ.सा.०३ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 31/05/2015 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह, एएसआई अबनीश शर्मा के साथ कस्बा गश्त करने हुए मयफोर्स के साथ रवाना हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि उसके साथ आरक्षक गुरूदास, आरक्षक श्याम सुन्दर गुर्जर, आरक्षक भीकम भी थे। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पेट्रोल पम्प के पास वारदात करने की नियत से कट्टे लिये खंडा था, तभी मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे दरोगा जी एवं उन लोगों ने घेरकर पकडा। दरोगा जी द्वारा उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके बाई तरफ कमर में एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर का मिला था, जिसके संबंध में दरोगा जी द्वारा लाईसेंस चाहा गया तो उसने ना होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम कादिर खॉन पुत्र वसीर खॉन, निवासी : वार्ड क्रमांक 14, बली साहब की मस्जिद के पीछे मौ का होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी से उसके एवं संदीप के समक्ष कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.02 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी को उसके एवं सदीप के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात आरोपी को थाना लेकर आये थे, जहाँ उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरान्त भी सुल्तान सिंह अ.सा.०३ का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित घटना के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है। सुल्तान सिंह अ.सा.०३ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से अवनीश शर्मा अ.सा.०४ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि होती है। उक्त दोनों साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि जब्ती पत्रक प्र.पी.02, गिरफतारी पत्रक प्र. पी.03 के तथ्यों एवं जब्तश्रदा आयुध आर्टिकल ए-01 एवं ए-02 से भी हो रही है।
- 10. अभियोजन साक्षी रामकुमार अरेले अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05 / 06 / 2015 को पुलिस लाईन भिण्ड में प्रधान आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के अपराध कमांक 143 / 2015 अन्तर्गत धारा 25 / 27 आर्म्स एक्ट में एक जब्तशुदा

315 बोर का कटटा एवं 315 बोर के एक जिंदा कारतूस की जांच उसके द्वारा की गई थी। साक्षी आगे कहता है कि जांच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक किया, एक्शन सही पाया गया। कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। एक 315 बोर का राउण्ड चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था, जिसकी पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ लिखा था। साक्षी आगे कहता है कि थाना मौ से प्रधान आरक्षक क्रमांक 869 सुल्तान सिंह के द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर पंचनामा एवं एफआईआर, जब्ती की नकल साथ में प्राप्त हुई थी। कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस एक साथ एक सफेद कपड़ा में सीलबंद जांच हेत् प्राप्त ह्ये, बाद जॉच कर नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में सीलबंद कर पुनः थाना वापस किया गया, इस वावत उसके द्वारा दी गई आयुध जांच रिपोर्ट प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी रामकुमार अरेले अ.सा. 01 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि उसके द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति–परीक्षण उपरांत भी साक्षी रामकुमार अरेले अ.सा.०१ का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्विक रूप से अखण्डित रहा है। साक्षी रामकुमार अरेले अ.सा.०१ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी से जब्तश्रदा 315 बोर का कटटा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर के एक जिंदा कारतस भी फायर किये जाने योग्य था।

अभियोजन साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 20 / 07 / 2015 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 138/2015, दिनांक 26/06/2015 द्वारा थाना मौ के अपराध क्रमांक 143 / 2015 से संबंधित केश डायरी एवं मोहरबंद आयुध आरक्षक क्रमांक 501 रामराज द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात प्रभारी जिला दण्डाधिकारी श्री आर.पी.भारती द्वारा अभियुक्त कादिर खॉ पूत्र वशीर खॉं, निवासी :- वार्ड क्रमांक 14 मौं, के कब्जे से एक कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा राउण्ड 315 बोर के अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भागों पर तत्कालीन प्रभारी जिला दण्डाधिकारी श्री आर.पी.भारती के हस्ताक्षर है, बी से बी भागों पर उसके लघु हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसने जिला दण्डाधिकारी आर.पी.भारती के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर पहचानता हूँ। साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.०५ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.07 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति–परीक्षण उपरांत भी तत्विक रूप से अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी

कादिर के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

- 12. जब्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी संदीप अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जब्ती पत्रक प्र.पी.02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 03 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर होना दर्शित किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके समक्ष आरोपी कादिर से कोई कट्टा एवं कारतूस जब्त होने एवं आरोपी को गिरफ्तार किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 13. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी कादिर ने दिनांक :— 31/05/2015 को शाम लगभग 06:20 बजे बेहट रोड़ गौरव पेट्रोल पम्प के पास मौ सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा।

अंतिम निष्कर्ष

- 14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी कादिर के विरूद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B(a)) के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।
- 15. आरोपी कादिर को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में अवैध हथियार धारण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
- 16. निर्णय दण्ड़ के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च :-

17. आरोपी कादिर के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस.यादव को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता श्री यादव का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा—लिखा, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठ भूमि का व्यक्ति है। वह अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। आरोपी अधिवक्ता के तर्क सदभाविक प्रतीत न होने के कारण अस्वीकार

किये गये। फलतः आरोपी कादिर को धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी कादिर द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में उसे 15 दिन का सश्रम कारावास, मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक भूगताये जाये।

- आरोपी पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल गोहद में निरूद्ध है, जहाँ से उसे आज प्रस्तुत किया गया है। आरोपी कादिर को सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भूगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।
- आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्डादेश की अवधि में से कम की जावे।
- प्रकरण में आरोपी कादिर से जब्तश्रदा 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद